

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2017/

दिनांक :

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदया की महत्वाकांक्षी बजट घोषणा में पाली जिला मुख्यालय में नवीन मेडिकल कॉलेज का संचालन वर्ष 2018-19 से किया जाना प्रस्तावित है। इन कॉलेजों के संचालन हेतु नर्सिंग एवं पैरामेडिकल तथा अन्य प्रशासनिक स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है, जिस हेतु शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अर्द्ध शासकीय पत्रांक F15(1)/DME/RAJ.MES/2017/6587 दिनांक 09/10 अक्टूबर, 2017 द्वारा नर्स श्रेणी द्वितीय को नवीन मेडिकल कॉलेज में प्रतिनियुक्ति पर लगाये जाने बाबत प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं।

चूंकि जिला पाली में संचालित चिकित्सा संस्थानों में नर्स श्रेणी द्वितीय सृजित पदों से अधिक कार्यरत होने से अधिशेष हैं।

अतः जिला पाली में कार्यरत निम्नलिखित अधिशेष नर्स श्रेणी द्वितीय को राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी के अधीन संचालित नवीन मेडिकल कॉलेज, पाली में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र.सं.	अधिशेष कार्मिक का नाम	संस्थान जहां अधिशेष हैं
1	पुजा शर्मा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पनौता, पाली
2	हरिश भाई	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायपुर, पाली
3	पुरुषोत्तम गर्ग	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेडा, पाली
4	मोयना बानो	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खारची, पाली
5	देवेन्द्र कुमार मौर्य	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बर, पाली
6	अशोक पांचारी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रानी, पाली
7	गुलाब चन्द	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बासनी ददवाडिया, पाली
8	सुमन महावर	राजकीय चिकित्सालय, सोजत सिटी, पाली
9	निरंजन सिंह राठौड़	राजकीय चिकित्सालय, सोजत सिटी, पाली
10	सरोज	राजकीय चिकित्सालय, सोजत सिटी, पाली
11	अंजना पारीक	राजकीय चिकित्सालय, सोजत सिटी, पाली

उक्त कार्मिक अपनी उपस्थिति तुरन्त प्रभाव से मेडिकल कॉलेज, पाली से सम्बद्ध अधीक्षक, बांगड़ चिकित्सालय, पाली में तुरन्त प्रभाव से प्रस्तुत करेंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2017/1413

दिनांक : 07/11/2017

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा.राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके अर्द्ध शासकीय पत्रांक F15(1)/DME/RAJ.MES/2017/6587 दिनांक 09/10 अक्टूबर, 2017 के क्रम में।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-जोधपुर।
6. प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, पाली।
7. अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय, पाली।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली।
9. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी।
10. संबंधित कर्मचारी को पालनार्थ।
11. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
12. आदेश, रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर